

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओपीओ चन्देलिया

प्रकरण सं० : 57/2024

अनवान :

बलवानसिंह पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ हाल निवासी शिवपुरावास भादरा तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
2. बिमलादेवी पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
3. माया पुत्री बाबुलाल जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. कमलादेवी पुत्री शुभचन्द जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
5. विजेन्द्र पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
6. कुलदीप पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
7. उर्मिला पुत्री केहरसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
8. अजयकुमार पुत्र शुभचन्द जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
9. अशोक पुत्र शुभचन्द जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टैण्ड भादरा जरिये प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेश गोदारा तथा वकील प्रतिवादीगण श्री उमेद मोठसरा व श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रोही मौजा भानगढ़ के खाता सं० 117/195 के ख०न० 143 की 0.291 है०, ख०न. 160 की 5.084 है०, ख०न० 207 की 0.746 है०, ख०न० 256 की 1.404 है० कुल खसरा 4 की 7.525 है० बारानी वादभूमि में वाद के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी धर्मसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 ता 9 के पिता/दादा शुभचन्द वल्द रामजीलाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी बारानी वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रागदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./24/601 दिनांक 30.07.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा भानगढ़ का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा भानगढ़

बलवान सिंह पुत्र विजाराम उर्फ विजयसिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा खातेदार राहिन एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा :- रोही मौजा भानगढ़ के ख०न० 160/1 की 1.012 है० बारानी, ख०न० 160/6 की 0.6830 है० बारानी, ख०न० 256 की 0.8130 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.508 है० ।

धर्मसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन भानगढ़ खातेदार :- रोही मौजा भानगढ़ के ख०न० 160/2 की 1.012 है० बारानी, ख०न० 160/4 की 0.6830 है० बारानी, ख०न० 256 की 0.5910 है०, ख०न० 207/2 की 0.223 है० बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 2.509 है० ।

सहायक कलक्टर

अजय कुमार, अशोक, कमला पि० शुभचन्द 3/5 हिस्सा, उर्मीला, कुलदीप, विजेन्द्र पि० केहरसिंह 1/5 हिस्सा बिमला देवी पत्नी बाबूलाल 1/10 हिस्सा माया चौधरी पुत्री बाबूलाल 1/10 हिस्सा जाति जाट साकिन भानगढ़ खातेदार :- रोही मौजा भानगढ़ के ख०न० 160/3 की 1.012 है० बारानी, ख०न० 160/5 की 0.6820 है० बारानी, ख०न० 207/1 की 0.523 है०, ख०न० 143 की 0.2910 है० बारानी कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.508 है० ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



[Handwritten Signature]
14-08-24
(सहायक कलेक्टर एवं कायपालिक न्यायालय) RAS
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़